

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. डी.26015/7/2010-पीएमजी
प्रधान मंत्री कार्यालय
(सामान्य अनुभाग)

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 7 जुलाई, 2010

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार

विषय: आटो रिक्शा (तिपहिया) किराये पर लेने के लिए निविदाएं - के संबंध में।

महोदय,

आटो रिक्शा के मालिकों से आटो रिक्शा (तिपहिया) किराये पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस कार्यालय की सरकारी डाक के वितरण और अन्य कार्यों के लिए ड्राइवर की सेवाओं सहित आटो में सवारी सीट होनी चाहिए। निविदा की शर्तें और नियम निम्नलिखित हैं।

- i वाहन सीएनजी आधारित होना चाहिए और अच्छे रखरखाव के साथ उत्कृष्ट हालत में होना चाहिए (01.01.2008 के बाद निर्मित)
- ii वाहन चालक को सभी कार्य दिवसों (अथवा आवश्यकता पड़ने पर अवकाश दिवसों) में वाहन प्रभारी, सामान्य अनुभाग, प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को रिपोर्ट करना होगा।
- iii ड्राइवर को अनुशासित होना चाहिए और उसे साफ-सुथरी वर्दी में होना चाहिए। यदि ड्राइवर उपयुक्त वर्दी में नहीं पाया जाता अथवा तैनाती के दौरान गलत व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो ड्राइवर को वाहन सहित वापस भेज दिया जाएगा और 100/- रुपये का दण्ड लगाया जाएगा। उस दिन के लिए एक अन्य वाहन किराये पर लिया जाएगा और इसका भुगतान ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

- iv ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन से संबंधित अन्य वैध कागजात और उपयुक्त बीमा होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना सेवा प्रदायक की जिम्मेदारी होगी कि सभी दस्तावेज़/परमिट आदि हर प्रकार से पूर्ण हों।
- v ड्राइवर को दिल्ली/नई दिल्ली के सभी मार्गों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मालिक/ड्राइवर को 24x7 मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहना होगा। यदि ड्राइवर को दिल्ली/नई दिल्ली के मार्गों का पूरी जानकारी नहीं होगी, तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह तुरंत ड्राइवर को बदल दे।
- vi यदि यह पाया जाता है कि वाहन सही हालत में नहीं है, तो उसे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। इस बीच, यह कार्यालय खुले बाजार से एक अन्य वाहन किराये पर लेगा और इसका भुगतान उस ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।
- vii उपलब्ध कराए गए वाहन के खराब हो जाने के मामले में सेवा प्रदाता द्वारा ही सभी खर्च वहन किये जाएंगे।
- viii यदि वाहन खराब हो जाता है/उचित समय से ज्यादा समय तक मरम्मत में रहता है, तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह तुरंत एक अन्य वाहन उपलब्ध कराए। इस बीच, इस कार्यालय को यह अधिकार होगा कि वह बाजार से आटो रिक्षा किराये पर लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करे और इस प्रकार व्यय की गई राशि ठेकेदार से वसूली जाएगी।
- ix चालक द्वारा किसी भी प्रकार के यातायात संबंधी अथवा किसी अन्य प्रकार के नियम उल्लंघन के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। यातायात नियमों या किसी अन्य नियम के उल्लंघन संबंधी सभी दावे वाहन मालिक द्वारा वहन किये जाएंगे।
- x किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अथवा किसी अन्य आपात स्थिति में इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा केवल चालक/ऐजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई दावा इस कार्यालय द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के मामले में क्षतिपूर्ति और इससे संबंधित सभी व्यय, जो कुछ भी हों, ऐजेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे।
- xi यदि किसी दिन फर्म (ठेकेदार) आटो रिक्षा नहीं भेजता है, तो उस दिन के लिए कटौती दैनिक दर के आधार पर की जाएगी और इस कटौती के अतिरिक्त

250/- रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा । देर से आने के मामले में 50/- रुपये प्रति घन्टे की दर से कटौती की जाएगी । इस बीच, इस कार्यालय को यह अधिकार होगा कि वह बाजार से आटो रिक्शा किराये पर लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करे और इस प्रकार व्यय की गई राशि ठेकेदार से वसूली जाएगी ।

- xii अपने कोटेशन के साथ 2000/- रुपये का डिमान्ड ड्राफ्ट अग्रिम राशि के रूप में “अनुभाग अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय” के नाम से, जो कि नई दिल्ली में देय हो, संलग्न किया जाए । ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा । बोली लगाने में असफल रहने वालों के मामले में यह अग्रिम राशि वापस कर दी जाएगी ।
- xiii बोली लगाने में सफल रहने वाला ठेकेदार 5000/- रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराएगा, जो ठेके की अवधि समाप्त होने और सभी बकायों का भुगतान हो जाने के बाद वापिस कर दी जाएगी ।
- xiv इस कार्यालय को किसी भी/सभी कोटेशन्स को बिना कोई कारण बताए, चाहे जो भी मामला हो, रद्द करने का अधिकार होगा ।
- xv यह ठेका, ठेका दिये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा और इस अवधि के दौरान दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
- xvi यदि दी जा रही सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो ठेके को बिना कोई कारण बताए पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा । असंतोषजनक कार्य निष्पादन अथवा किसी अन्य कारण के चलते सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और यह सेवा प्रदायक पर बाध्यकारी होगा ।
- xvii ठेकेदार 45 दिन का नोटिस देकर ठेका छोड़ सकता है ।
- xviii एक से ज्यादा बोली लगाने वालों की दर समान होने की स्थिति में, अर्थात् TIE होने पर सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदार के संबंध में फैसला ठेकेदारों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सबसे ज्यादा ठेके लिए जाने के आधार पर किया जाएगा । मौजूदा सभी ठेकों की प्रतियां कोटेशन सहित संलग्न की जाएं।
- xix कोटेशन अनुलग्नक-1 पर संलग्न प्रपत्र में जमा किया जाना चाहिए और यह विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

2. कोटेशन्स एक सील बंद लिफाफे में हो और इसके उपर “QUOTATIONS FOR HIRING OF THREE WHEELER” लिखा हो तथा यह अवर सचिव (प्रशासन), प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली 110101 को सम्बोधित हो। इन्हें अग्रिम राशि (EMD) सहित दिनांक 28.07.2010 को 15:00 बजे तक अथवा इससे पहले प्रधान मंत्री कार्यालय के डाक काउन्टर पर जमा किया जाए। कोटेशन्स उसी दिन (28.07.2010) 15:30 बजे निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, यदि वे उपस्थित रहना चाहें, अवर सचिव (प्रशासन), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के कार्यालय में खोले जाएंगे।

भवदीय,

(के. सलिल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलिफोन नं. 23018130

प्रतिलिपि:

1. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस एनआईटी को इस कार्यालय की वेब-साईट पर डाल दें।

किराये पर तिपहिया-आटो रिक्शा प्रदान करने के लिए कोटेशन1. मासिक प्रभार

क्र. सं	विवरण	दर
क)	1500 कि.मी. व 200 घंटे	रु0 प्रतिमाह

टिप्पणी: अतिरिक्त कि.मी. के लिए दरें 6.50 रुपए प्रति कि.मी. होंगी
 अतिरिक्त घंटे के लिए दरें 15 रुपए प्रति घंटा होंगी

2. पिछले तीन वर्षों 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09(वर्षवार) के दौरान की गई संविदा की उच्चतम राशि:

2006 - 2007 : _____

2007 - 2008 : _____

2008 - 2009 : _____

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पैन संख्या: _____

ठिन संख्या: _____

सेवा-कर संख्या: _____